

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सा0वा0वन एवं वन्य जीव प्रभाग, हरदोई।

पत्रांक 4322 / 14-10-4
सेवा में,

दिनांक, हरदोई,

21-06-

2022

मुख्य वन संरक्षक,
लखनऊ मण्डल,
उ0प्र0 लखनऊ।

विषय:- जनपद हरदोई के अन्तर्गत बिन्ध्या टेलीलिक लि0, द्वारा हरदोई-पिहानी मार्ग किमी0 3.00 से किमी0 25.00 के मध्य कुल 22.00 किमी0 की दूरी में 0.2279 हे0 संरक्षित वन भूमि में भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाये जाने हेतु बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय पत्रांक-232/11-सी-FP/UP/Approach/33985/2018/ दिनांक-22.07.2021

महोदया,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा लायी गयी विन्दुवार आपत्ति का निराकरण सूचना मय अभिलेख निम्नानुसार प्रेषित किया जाता है:-

1. वन स्वरूप चिन्हित न होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र को आनलाइन अपलोड करते हुए प्रस्ताव के पृष्ठ सं0-20 पर संलग्न कर दिया गया है।
2. विन्दु सं0-2 में इंगित आपत्ति का निराकरण आपके स्तर से किया जाना है।
3. आनलाइन भाग-2 के क्रमांक-16 में संस्तुति पत्र को अपलोड कर दिया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया अपने स्तर से अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(रविशंकर शुक्ल)

प्रभागीय निदेशक

सा0 वा0 वन एवं वन्य जीव प्रभाग

हरदोई।

पत्रांक-4322 / उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि:- श्री परवेज फारुक अंसारी, एरिया मैनेजर, बिन्ध्या टेलीलिक लि0, कानपुर कलस्टर कानपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रविशंकर शुक्ल)

प्रभागीय निदेशक

सा0 वा0 वन एवं वन्य जीव प्रभाग

हरदोई।